राजस्थान राज्य

बनाम

पार्थू

दिनांक- 13 सितंबर, 2007

(एस. बी. सिन्हा और हरजीत सिंह बेदी, जे. जे.)

दंड संहिता, 1860-

धारा 302- मृत व्यक्ति की मृत्यु जलने से हो गई-मृत्यु कालिक कथन कि पति ने मिट्टी का तेल डाला और आग लगा दी-निचली अदालत द्वारा दोषसिद्धि का निर्णय किया - उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय अपास्त किया गया- अपील में निर्धारित किया गया कि: दोषसिद्धि का निर्णय केवल मृत्यु कालिक कथन के आधार पर अभिलिखित किया जा सकता है, बशर्ते अदालत को संतोष हो कि यह सच और स्वैच्छिक था-इसका पता लगाने के लिए, अदालत परिस्थितियों को देखे-जब घटना हुई तो पति मृतका के साथ अकेला था घटना के बाद वह नहीं मिला-यह उसे दिखाना था कि मृतका की मृत्यु कैसे हुई-पर्याप्त और ठोस स्पष्टीकरण के अभाव में, निचली अदालत ने उनके खिलाफ परिस्थितियों के समान ही सही माना-साक्ष्य अधिनियम, 1872 - धारा 32.

साक्ष्य अधिनियम, 1872-

धारा 32 - मृत्यु कालिक कथन डॉक्टर पी. डब्ल्यू. 10 और जांच अधिकारी की उपस्थिति में की गई- डॉक्टर ने अंगूठे के निशान के साथ-साथ जांच अधिकारी के समक्ष मृतका के बयान को भी सत्यापित किया- विचारणीय न्यायालय द्वारा मृत्यु कालिक कथन पर निर्भर करते हुए दोषसिद्ध किया- उच्च न्यायालय द्वारा इस आधार पर दोषमुक्ति की गयी कि डाक्टर के द्वारा यह कथन नहीं किया कि मृतका बयान देने के लिए मानसिक रूप से स्वस्थ- शुद्धता - अशुद्ध होना अधिनिर्णीत - मृतका के बयान को सत्यापित करने से डॉक्टर का मतलब था कि बयान उनकी उपस्थिति में जांच अधिकारी द्वारा सही अभिलिखित किए गए- दंड संहिता, 1860 धारा.302।

अभियोजन पक्ष का मामला यह था कि अपीलार्थी की पत्नी गंभीर रूप से जल गई थी। सूचना मिलने पर हेड कांस्टेबल पी. डब्ल्यू-6 मौके पर पहुंचे। वह वहाँ गया और उसे अस्पताल ले गया। पी. डब्ल्यू-6 ने उसका बयान अभिलिखित किया, जिसे मृत्यु कालिक कथन माना गया, जिसमें उसने खुलासा किया कि उसे उसके पति द्वारा जला दिया गया था। पी. डब्ल्यू-9, एसएचओ ने मृतका का बयान 8.6.1995 को अभिलिखित किया।

मृतका की मृत्यु 19.6.1995 पर हुई। विचारण न्यायालय द्वारा मृत्यु कालिक कथन पर निर्भर करते हुए उत्तरदाता को धारा 302 भारतीय दण्ड संहिता के तहत अपराध करने का दोषी ठहराया। अपील होने पर,

उच्च न्यायालय ने इस आधार पर दोषमुक्ति का निर्णय अभिलिखित किया गया कि मृत्यु कालिक कथनों पर निर्भर नहीं किया जा सकता क्योंकि पी. डब्ल्यू 10 ए द्वारा ऐसा कोई कथन नहीं किया गया है कि पी.डब्ल्यू-6 जांच अधिकारी के समक्ष बयान देने के लिए मृतका यही मानसिक स्थिति में थी। अतः वर्तमान अपील।

अपील को स्वीकार करते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया-

1.1. अपराध की प्रकृति के संबंध में इसी तरह के बयान उक्त दो मृत्यु कालिक कथनों में दिए गए प्रतीत होते हैं, हालाँकि मृत्यु जाँच अधिकारी पी. डब्ल्यू-9 द्वारा दिनांक 08.06.1995 को अभिलिखित किये गये कथन थोड़ा अधिक विस्तृत है। दोनों न्यायालयों द्वारा यह अभिलिखित किया गया है कि डॉ. अवधेश माथुर पी. डब्ल्यू-10 मृत्यु के समय उपस्थित थे जब मृत्यु कालिक कथन अभिलिखित किये गये थे। यह सच है कि उक्त मृत्यु कालिक कथन में इस प्रभाव का कोई प्रमाण पत्र नहीं है व अंकन नहीं है कि मृतका इस तरह का बयान देने के लिए मानसिक रूप से स्वस्थ थी, लेकिन मृत्यु कालिक कथन की रिकॉर्डिंग समाप्त होने के बाद, डॉक्टर ने उसके अंगूठे के निशान के साथ-साथ जांच अधिकारी के समक्ष उसके बयान को भी सत्यापित किया। (पैरा 9)

1.2 . उच्च न्यायालय ने इस पर टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है। इस तरह के बयान का कोई प्रमाण होना चाहिए।

तकनीकी रूप से उच्च न्यायालय सही हो सकता है, लेकिन मृत्यु कालिक कथन में चिकित्सा न्यायाविद् पी. डब्ल्यू-10 डॉ. ए द्वारा इस तरह का प्रमाण पत्र जारी करने का मतलब था कि मृतका का बयान उसके द्वारा जांच अधिकारी के समक्ष उसकी उपस्थिति में दिया गया था और वही जांच अधिकारी द्वारा सही ढंग से अभिलिखित किया गया है। उन्होंने स्वयं भी मृतका से घटना के बारे में पूछताछ की थी। उसने खुलासा किया था कि पति और पत्नी के बीच झगड़ा हुआ था जिसके बाद में उसने उस पर मिट्टी का तेल डाला और आग लगा दी थी। (पैरा 10)

2. दोषसिद्धि का निर्णय केवल मृत्यु कालिक कथनों के आधार पर अभिलिखित किया जा सकता है, बशर्ते कि न्यायालय इस बात से संतुष्ट हो कि वह सत्य और स्वैच्छिक था। मृत्यु पूर्व दिए गए बयान की सत्यता या स्वैच्छिकता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से न्यायालय, अन्य परिस्थितियों पर भी गौर कर सकता है। इस तथ्य के अलावा, जैसे यह पहले देखा गया है, यहां उत्तरदाता द्वारा मृत्यु की प्रकृति मानव वध होने पर विवाद नहीं किया गया और इसके अलावा उसने धारा 313 के तहत् अपने बयान में सकरात्मक बचाव किया था कि उसकी मृत्यु एक दुर्घटना में हुई थी, हमारी राय है हाईकोर्ट ने गलत रवैया अपनाया। यह विवादित नहीं है कि मृतका और उत्तरदाता अपने परिवार से अलग रह रहे थे। इस बात पर भी विवाद नहीं है कि जिस समय यह घटना घटी उत्तरदाता

मृतका के साथ उसके घर में था। इसके अलावा इसमें कोई विवाद नहीं है कि घटना घटित होने के बाद उत्तरदाता का पता नहीं चल सका। उन्हें दिनांक 20.06.1995 को ही गिरफतार कर लिया गया था। यदि घटना के समय मृतका और उत्तरदाता अपने घर में एक साथ थे, जो कि रात के लगभग 10 बजे थे, तो यह उत्तरदाता को दिखाना था कि मृतका की मृत्यु कैसे हुई। इस संबंध में पर्याप्त या ठोस स्पष्टीकरण के अभाव में न्यायालय आरोपी के खिलाफ परिस्थितियों पर विचार करने का हकदार होगा।

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः आपराधिक अपील सं. 325/2002

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के डी. बी. आपराधिक अपील सं. 37/1997 में निर्णय दिनांकित 30.04.2001 से।

अपीलार्थी की ओर से अरुंश्वर गुप्ता, नवीन कुमार सिंह और शाश्वत गुप्ता ।

उत्तरदाता की ओर से रणबीर सिंह यादव, वी. के. पंडिता और एच. एम. सिंह।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था-

एस. बी. सिन्हा, जे. न्यायाधिपति

1. प्रभारी अधिकारी हरमीरगढ़ पुलिस स्टेशन को एक टेलीफोनिक संदेश मिला कि उत्तरदाता पार्थू की पत्नी को जलने से चोटें आई हैं और वह गंभीर हालत में पड़ी थी। इस आशय की एक प्रविष्टि रोजनामचा रजिस्टर में की गई थी, जिसके बाद हैड कांस्टेबल पी. डब्ल्यू.-6 नारायण सिंह कुछ अन्य पुलिस कर्मियों के साथ मौके पर पहुंचे। वे उसे इलाज के लिए भीलवाड़ा के महात्मा गांधी अस्पताल ले गए। उक्त नारायण सिंह ने उसका बयान अभिलिखित किया जिसे मृत्यु कालिक कथन माना गया, जिसमें उसने खुलासा किया कि उसे उसके पति ने जलाया था। उक्त बयान के आधार पर थानाधिकारी हमीरगढ़ पी. डब्ल्यू. 9-शंकर सिंह के द्वारा अपराध, धारा 307 आई. पी. सी. के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट अभिलिखित की गई थी। उन्होंने उक्त घटना के संबंध में जांच शुरू की। मृतका के बयान दिनांक 08.06.1995 को पी. डब्ल्यू. 9-शंकर सिंह द्वारा लेखबद्ध किये गये।

2. लाली की मृत्यु 19.6.1995 को हुई थी, जिसके बाद आई. पी. सी. की धारा 302 को प्रथम सूचना रिपोर्ट में जोड़ा गया था।

3. विचारण न्यायालय के समक्ष अभियोजन पक्ष द्वारा कुल 11 गवाहों को परिक्षित करवाया गया था अभियोजन पक्ष के कुछ गवाह, जो मृतका के रिश्तेदार थे, वे पक्षद्रोही घोषित हुए।

4. हालाँकि, अभियुक्त/उत्तरदाता के धारा 313 दण्ड प्रक्रिया सहिता के तहत अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि, लाली की मृत्यु एक आकस्मिक घटना थी, जब वह चूल्हे में मिट्टी का तेल डाल रही थी और माचिस की तिली जला रही थी, तो अचानक आग लग गई।

5. विद्वान विचारणीय न्यायाधीश द्वारा प्रदर्श पी. 6 व प्रदर्श पी. 14 मृत्यु कालिक कथनों के आधार पर अभियुक्त को उक्त अपराध करने का दोषी ठहराया। उच्च न्यायालय के समक्ष उत्तरदाता द्वारा की गई अपील में न्यायालय का यह मत था कि पी. डब्ल्यू. 10- डॉ. अवधेश माथुर द्वारा ऐसा कोई कथन अपने बयान में नहीं किया गया कि जांच अधिकारी पी. डब्ल्यू. 6 नारायण सिंह के समक्ष मृतका कथन करने के लिए मानसिक रूप से स्वस्थ थी। इसके अलावा इस तथ्य को भी ध्यान में रखा गया कि उन्होंने मृतका का इलाज नहीं किया था। इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पर्याप्त था कि उक्त मृत्यु कालिक कथनों पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता था।

6. इसके अलावा उच्च न्यायालय का यह मत भी था कि घटना दिनांक 27.5.1995 पर हुई थी और मृत्यु 19.6.1995 पर हुई थी, मृतका के मृत्यु कालिक कथन मजिस्ट्रेट द्वारा अभिलिखित किये जाने चाहिए थे।

7. उपरोक्त निष्कर्ष पर, उच्च न्यायालय ने बरी होने का फैसला प्रदान किया था, जिसकी अपील हमारे समक्ष है।

8. हम शुरुआत में नोटिस कर सकते हैं कि उच्च न्यायालय ने आधार माना है कि “मृतका के मृत्यु की प्रकृति मानव वध होना विवाद में नहीं है।” यह तथ्य भी विवाद में नहीं है कि उसकी मृत्यु जलने से हुई थी। हमारे विचार के लिए जो छोटा प्रश्न उठता है वह यह है कि क्या उपरोक्त दो मृत्यु कालिक कथनों पर भरोसा किया जा सकता है या नहीं।"

9. उक्त दोनों मृत्यु कालिक कथनों का अध्ययन किया, जो प्रदर्श पी-6 और प्रदर्श पी-14 हैं। अपराध की प्रकृति के संबंध में इसी तरह के बयान उक्त दो मृत्यु कालिक कथनों में दिए गए प्रतीत होते हैं, हालाँकि मृत्यु जाँच अधिकारी-शंकर सिंह पी. डब्ल्यू-9 द्वारा दिनांक 08.06.1995 पर अभिलिखित किये गये कथन थोड़ा अधिक विस्तृत है। दोनों न्यायालयों द्वारा यह अभिलिखित किया गया है कि डॉ. अवधेश माथुर पी.डब्ल्यू-10 मृत्यु के समय उपस्थित थे जब मृत्यु कालिक कथन (प्रदर्श पी-14) अभिलिखित किये गये थे। यह सच है कि उक्त मृत्यु कालिक कथन में इस प्रभाव का कोई प्रमाण पत्र नहीं है व अंकन नहीं है कि मृतका इस तरह का बयान देने के लिए मानसिक रूप से स्वस्थ था, लेकिन मृत्यु कालिक कथन की रिकॉर्डिंग समाप्त होने के बाद, डॉक्टर ने उसके अंगूठे के निशान के साथ-साथ जांच अधिकारी के समक्ष उसके बयान को भी सत्यापित किया।

10. उच्च न्यायालय ने इस पर टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है इस तरह के बयान का कोई प्रमाण होना चाहिए। तकनीकी रूप से उच्च न्यायालय सही हो सकता है लेकिन मृत्यु कालिक कथन में चिकित्सा न्यायाविद् पी. डब्ल्यू-10 डॉ. अवधेश कुमार द्वारा इस तरह का प्रमाण पत्र जारी करने का मतलब था कि मृतका का बयान उसके द्वारा जांच अधिकारी के समक्ष उसकी उपस्थिति में दिया गया था और वही जांच अधिकारी द्वारा सही ढंग से अभिलिखित किया गया है। उन्होंने स्वयं भी मृतका से घटना के बारे में पूछताछ की थी। उसने खुलासा किया था कि पति और पत्नी के बीच झगड़ा हुआ था, जिसके बाद उसने उस पर मिट्टी का तेल डाला और आग लगा दी थी।

11. हम देख सकते हैं कि पी. डब्ल्यू. 10-डॉ. अवधेश कुमार अपने प्रतिपरिक्षण में यह स्पष्ट कथन किया है कि

> “ प्रदर्श पी-6 वाली रिपोर्ट पर इस प्रभाव के लिए कोई टिप्पणी नहीं की गई थी कि मृतका बयान देने की स्थिति में नहीं थी परंतु वह बयान देने की सही स्थिति में थी। यह कहना गलत है कि मृतका अपने बयान देने की सही स्थिति में नहीं थी और वह अपने होश में नहीं थी।"

12. हम यह लक्ष्मण बनाम महाराष्ट्र राज्य-(2002) 6 एस. सी. सी. 710, इस न्यायालय ने निम्नलिखित राय दीः

“5. न्यायालय ने भी उपरोक्त मामले में निर्णय हरजित कौर बनाम पंजाब राज्य की सहायता प्राप्त की जिसमें यह मत था कि जहाँ मजिस्ट्रेट ने अपने साक्ष्य में कहा है कि उसके द्वारा डॉक्टर से पुष्टि प्राप्त की है कि मृतका बयान देने के लिए उपयुक्त स्थिति में थी परन्तु उक्त पुष्टि आवेदन पर प्राप्त की न कि मृत्यु कालिक कथनों में, यह तथ्य कथनों को संदेहस्पद नहीं बनाता। उपरोक्त कारणानुसार इस न्यायालय को पापरमबक रोसाम्मा बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (एस. सी. सी. पे.701 पैरा 8 पर) के निष्कर्ष की टिप्पणी में कोई संकोच नहीं है-

“एक चिकित्सा प्रमाण के अभाव में मात्र इस आधार पर कि मजिस्ट्रेट की आत्म संतुष्टि में यह मत था कि आहता मृत्यु कालिक कथनों के लिए मानसिक रूप से स्वस्थ थी यह मानना बहुत जोखिम भरा है कि आहता मृत्यु कालिक कथनों के लिए मानसिक रूप से स्वस्थ है।”

बहुत व्यापक रूप से कहा गया है और इसका कानून सही उच्चारण नहीं है। यह वास्तव में एक अति-तकनीकी दृष्टिकोण है कि प्रमाण डॉक्टर का परिणाम था कि रोगी होश में है परन्तु ऐसा कोई प्रमाण नहीं कि रोगी विशेष रूप से मन की स्वस्थ स्थिति में था। जब मजिस्ट्रेट ने अपने साक्ष्य

में स्पष्ट रूप से संकेत दिया उन्होंने रोगी से जो सवाल पूछे थे और उनसे जो जवाब मिले थे उससे संतुष्ट होकर मृत्यु कालिक कथन अभिलिखित किए गए। इसलिए, इस न्यायालय का निर्णय पापरम्बका रोसम्मा बनाम ए. पी. राज्य की स्थिति को नहीं माना जाना चाहिए तथा कोली चुनीलाल सवजी बनाम गुजरात राज्य में र्निधारित मत को सही माना गया।

13. यह अब कानून का एक अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांत है कि दोषसिद्धि का निर्णय केवल मृत्यु कालिक कथनों के आधार पर अभिलिखित किया जा सकता है, बशर्ते कि न्यायालय इस बात से संतुष्ट हो कि वह सत्य और स्वैच्छिक था। मृत्यु पूर्व दिए गए बयान की सत्यता या स्वैच्छिकता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से न्यायालय, अन्य परिस्थितियों पर भी गौर कर सकता है। इस तथ्य के अलावा, जैसे यह पहले देखा गया है, यहां उत्तरदाता द्वारा मृत्यु की प्रकृति मानव वध होने पर विवाद नहीं किया गया और इसके अलावा क्यों उसने धारा 313 के तहत् अपने बयान में सकरात्मक बचाव किया था कि उसकी मृत्यु एक दुर्घटना में हुई थी, हमारी राय है हाईकोर्ट ने गलत रवैया अपनाया। यह विवादित नहीं है कि मृतका और उत्तरदाता अपने परिवार से अलग रह रहे थे। इस बात पर भी विवाद नहीं है कि जिस समय यह घटना घटी उत्तरदाता मृतका के साथ उसके घर में था। इसके अलावा इसमें कोई विवाद नहीं है कि घटना घटित होने के बाद उत्तरदाता को पता नहीं चल सका। उन्हे दिनांक 20.06.1995

को ही गिरफतार कर लिया गया था। यदि घटना के समय मृतका और उत्तरदाता अपने घर में एक साथ थे, जो कि रात के लगभग 10 बजे थे, तो यह उत्तरदाता को दिखाना था कि मृतका की मृत्यु कैसे हुई।

इस संबंध में पर्याप्त या ठोस स्पष्टीकरण के अभाव में न्यायालय आरोपी के खिलाफ परिस्थितियों पर विचार करने का हकदार होगा। राज कुमार प्रसाद तमाकर बनाम बिहार राज्य 2007 1 स्केल 19

इस न्यायालय ने इस प्रकृति के एक मामले में बडी संख्या में निर्णयों में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के सिद्धांतों को भी लागू किया था। राजस्थान राज्य बनाम काशीराम 2006 स्केल 440 और पंजाब राज्य बनाम करनैल सिंह 2003 11 एस सी सी 271।

उपर बताए गए कारणों से, आक्षेपित निर्णय को कायम नहीं रखा जा सकता है। इसे तदनुसार अलग रखा गया है। अपील स्वीकार की जाती है। विद्वान विचारण न्यायाधीश के निर्णय की पृष्टि की जाती है। उत्तरदाता, जो जमानत पर है उसे शेष सजा काटने के लिए आत्मसमर्पण करना होगा। उनके जमानत बॉन्ड रद्द किए जाते है।

अपील की अनुमति दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी निष्ठा पाण्डे (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।